संख्या-39/2021/462/71-2-21-के0जी0एम0यू0-70/2017

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0 के आई0डी0एच0 ब्लाक में निर्माणाधीन सेन्टर फार आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज (स्पाईन सेन्टर, स्पोर्टस मेडिसिन विभाग, आर्थोप्लास्टी यूनिट तथा पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग) के निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा विश्वविद्यालय के पत्रांक 13402/योजना अनु0/2021, दिनांक 24.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0 के आई0डी0एच0 ब्लाक में निर्माणाधीन सेन्टर फार आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज (स्पाईन सेन्टर, स्पोर्टस मेडिसिन विभाग, आर्थोप्लास्टी यूनिट तथा पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग) के निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-7/2020/66/71-2-2020 के0जी0एम0यू0-70/2017, दिनांक 15.01.2020 के द्वारा उक्त प्रायोजना हेतु धनराशि 'रू0 8610.94 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय)' की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 1500.00 लाख अवमुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

3- उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 24.02.2021 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 15.01.2020 द्वारा प्रदान की गयी धनराशि 'रू0 8610.94 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय)' की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अनुदान संख्या-31 से रू0 1250.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से 250.00 लाख अर्थात रू0 1500.00 लाख (रूपया पन्द्रह करोड मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रायोजना हेतु मूल शासनादेश के सुसंगत शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 (यथासंशोधित) तथा शासनादेश दिनांक 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 29.09.2020 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

(5) विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(6) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(7) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव/कुलपति की होगी।

(8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ, फायर एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(10) प्रयोजनान्तर्गत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल इत्यादि व्यय-वित्त समिति/शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में व्यय वित्त समिति की संस्तुतियों/दिशा-निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(12) विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(13) विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजना के लिये नहीं किया जायेगा तथा व्यय, स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(15) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

(17) आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्तधनराशि रू0 1250.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 250.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2021/462(1)/71-2-21-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) प्रबन्ध निदेशक/अपर परियोजना प्रबन्धक सी0 एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0, लखनऊ ।
8) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in